फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रशन कम्पनी लिमिटेड, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनिल कुमार वर्मा जिसका पंजीकृत कार्यालय – एडलवाइस हाउस, सी.एस.टी. रोड, कलिना मुम्बई – 400098 तथा शाखा कार्यालय – एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रेशन कम्पनी लि. ई– 3, द्वितीय तल, 2th फ्लोर, दिल्ली प्रेस, रानी झॉसी रोड, झण्डेवाले, नई दिल्ली – 110055 में स्थित व कार्यरत हैं।

–प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स हरि ओम मार्बल एण्ड हेन्डीक्राफ्ट जरिये प्रोपराईटर श्री हरिश चन्द्र, पता – हाउस नं. 130, ग्राम बडारडा, ग्राम पंचायत बडारडा, गणेश चौराहा, राजसमंद, उदयपुर (राज.) – 313324

   अन्य पता –

   मैसर्स हरि ओम मार्बल एण्ड हेन्डीक्राफ्ट जरिये प्रोपराईटर श्री हरिश चन्द्र, पता – पट्टा नं. 026, ग्राम बडारडा, ग्राम पंचायत बडारडा, राजसमंद, उदयपुर (राज.) – 313324

   मैसर्स हरि ओम मार्बल एण्ड हेन्डीक्राफ्ट जरिये प्रोपराईटर श्री हरिश चन्द्र, पता – हरि ओम मार्बल एण्ड हेन्डीक्राफ्ट, बदर, दाऊदईपुर, उदयपुर (राज.) – 313324

2. श्री हरिश चन्द्र उर्फ हरिश कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत पता – हाउस नं. 13, गावं का रास्ता, ग्राम बडारदा, ग्राम पंचायत बडारदा, गणेश चौराहा, तहसील व जिला राजसमंद उदयपुर (राज.) – 313324

   अन्य पता –

   श्री हरिश चन्द्र उर्फ हरिश कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत, पता – पट्टा नं. 026, ग्राम बडारडा, ग्राम पंचायत बडारडा, राजसमंद, उदयपुर (राज.) – 313324

   श्री हरिश चन्द्र उर्फ हरिश कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत, पता – हरि ओम मार्बल एण्ड हेन्डीक्राफ्ट, बदर, दाऊदईपुर, उदयपुर (राज.) – 313324

2. श्री गंगा राम कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत पता – हाउस नं. 130, ग्राम बडारडा, गावं का रास्ता, ग्राम पंचायत बडारडा, गणेश चौराहा, तहसील व जिला राजसमंद उदयपुर (राज.) – 313324

   अन्य पता –

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

श्री गंगा राम कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत, पता – पट्टा नं. 026, ग्राम बडारडा, ग्राम पंचायत बडारडा, राजसमंद, उदयपुर (राज.) – 313324

श्री गंगा राम कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत, पता – हरि ओम मार्बल एण्ड हेन्डीक्राफ्ट, बदर, दाऊदईपुर, उदयपुर (राज.) – 313324

----ऋणी / सह–ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 48 / 2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.12.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिंकस्ट्रशन कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली ने दिनांकः 04.10.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। मूल रूप से बजाज फाईनेन्स लि0 ने ऋणी / सहऋणी को सम्पत्ति के विरूद्ध दिनांक 31.07.2017 को ऋण खाता संख्या 5E5RSE34392033 से कुल 7,21,000 / – अक्षरे सात लाख इक्कीस हजार रुपए का ऋण स्वीकृत किया था तथा इस हेतु ऋणी / सहऋणी के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था। उक्त ऋण राशि परिम्पत्ति, प्रतिभुति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– **रिहायसी अचल सम्पत्ति :–** पट्टा नं. 26, ग्राम बडारडा, ग्राम पंचायत बडारडा, जिला– राजसमंद, राजस्थान – 342005 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षैत्रफल 1470.75 वर्गफीट है, जो कि श्री हरिश चन्द्र उर्फ हरिश कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत के नाम से है। ऋण की अदायगी हेतु सिक्युरिटी के रूप में ऋणी / सहऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके उक्त सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है, प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। यह कि ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने पर असफल होने पर ऋणी के खाते को बजाज फाईनेन्स लि0 के द्वारा नियमानुसार दिनांक 04.10.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बजाज फाईनेन्स लि0 द्वारा ऋणी का ऋण खाता व उससे संबंधित समस्त अधिकार प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रशन कम्पनी लि. के हक में असाईन (सौंप) जरिये असाईमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.03.2020 निष्पादित कर दिया गया हैं, जिसके अर्न्तगत बजाज फाईनेन्स लि0 के उक्त खातें से संबंधित समस्त अधिकार	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

र्तमान में प्रार्थी को प्राप्त हो गयें हैं व प्रार्थी उक्त अधिकारों के तहत उक्त खाते से संबंधित आगामी कार्यवाही सम्मिलित बंधक सम्पत्ति का कब्जा माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का व उसे बेचान कर बकाया राशि की वसूली करने का अधिकारी हो गया हैं। प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिंकस्ट्रशन कम्पनी लिमिटेड, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 29.10.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अर्न्तगत रजि. डाक से दिनांक 22.11.2020 मांग नोटिस प्रेषित कर एवं उसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों द इण्डियन एक्सप्रेस (इंग्लिस) एवं प्रातःकाल (हिन्दी) में दिनांक 03.11.2020 को प्रकाशित कर बकाया राशि रूपये 6,02,083.29/- (अक्षरे छः लाख दो हजार तैरासी रूपये और उनतीस पैसे) दिनांक 28.10.2020 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करने के लिए मांग की गई थी। ऋणी/सहऋणी को संपत्ति के विरूद्ध खाते में राशि रूपये 6,02,083.29/- (अक्षरे छः लाख दो हजार तैरासी रूपये और उनतीस पैसे) दिनांक 28.10.2020 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त लेना हैं। बकाया राशि को वसूल करने के लिए कम्पनी को उपरोक्त वर्णित गिरवीकृत परिसम्मिति अचल सम्पत्ति का कब्जा लेकर बिक्री कर अपनी बकाया राशि वसूल की जायेगी।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :-

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receiopt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assetes [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 29.10.2020 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रशन कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्री हरिश चन्द्र उर्फ हरिश कुमावत पुत्र श्री वेणी राम कुमावत, पट्टा नं. 26, ग्राम बडारडा, ग्राम पंचायत बडारडा, जिला– राजसमंद, राजस्थान – 342005 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1470.75 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– रामचन्द्र का मकान, उत्तर :– रास्ता, दक्षिण :– परसाराम का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रशन कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रशन कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)